न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 43 / 2023

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. तेजमल पुत्र भंवरलाल जाति जैन निवासी कल्याणपुरा, मार्ग नंबर 2 बाडमेर (मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स, कृषि उपज मण्डी बाडमेर का विक्रेता)
2. मिनाक्षी देवी पत्नी तेजमल निवासी पिपली चौक लक्ष्मी बाजार बाडमेर (मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स, कृषि उपज मण्डी बाडमेर की मालिक)
3. कल्पेश भाई फूल भाई थूमर (मैसर्स विश्वा फूड प्रोडेक्ट, प्लॉट नंबर 21 प्रथम इण्डिस्ट्रियल एसेट्स, हाथोडा, मंगरोल, सूरत गुजरात का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 12.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स, कृषि उपज मण्डी बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **05.05.2023** को 500–500 मिली लीटर के 15 जार मूल ही सिल्ड अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी (विश्वा ब्राण्ड)** को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी (विश्वा ब्राण्ड)** में से कुल 4 जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1995** अंकित कर इसकी जांच खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (विश्वा ब्राण्ड)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (विश्वा ब्राण्ड)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए नरम दृष्टिकोण रखने हेतु निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **24.05.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए नरम दृष्टिकोण रखने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत परिवाद **घी (विश्वा ब्राण्ड)** से संबंधित है, जिसकी प्रयोगशाला जांच में Butyrorefractometer reading at 40 degree C का मानक 40 to 44 के मुकाबले 44.44 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के तथ्य का अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 पर **रूपये 20,000 / –** व अप्रार्थी संख्या 03 पर **रूपये 40,000 / –**का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर